न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 5/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता निवासी महावीर कॉलोनी नई मण्डी रोड दौसा, मैसर्सः— ओम ट्रेडर्स सुन्दरदास मार्ग होल सेल मार्केट दौसा, विक्रेता।
2. श्री महेश चन्द रावत निवासी प्लॉट नं0 125 ए श्यामपुरी झोटवाडा, जयपुर राज0 302012 मैसर्सः— रावत इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0 62 शंकर विहार नांगल जेसा बोहरा झोटवाडा जयपुर राज0 फर्म निर्माता।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी सं0 1 व 2 अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :— दिनांकः—06.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.09.2015 को दोपहर बाद 04:45 बजे मैसर्स— ओम ट्रेडर्स सुन्दरदास मार्ग होल सेल मार्केट दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता निवासी महावीर कॉलोनी नई मण्डी रोड दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को मैसर्सः— ओम ट्रेडर्स सुन्दरदास मार्ग होल सेल मार्केट दौसा का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में लकडी की रैक में 500 ग्राम वजन के 40 पॉलीपैक साबूदाना (हीरा—मोती) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इसमें से (4 मूल सील्ड पॉलीपैक X 500 ग्राम) साबूदाना (हीरा—मोती) नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 160 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर साबूदाना (हीरा–मोती) के पॉलीपैक पर चिपकाकर अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1178 गोंद से उपर से नीचे चिपकाकर एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से सील चपडी उपर–नीचे व दोनो साइडों से सील मोहर कर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आये करवाकर व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.09.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.09.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.09.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ साबूदाना (हीरा–मोती) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2443/एक्ट/2015/924 दिनांक 28.09.2015 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ साबूदाना (हीरा–मोती) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा ना तो कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जॉच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ साबूदाना (हीरा–मोती) के रेपर पर ''MRP, Date of packing & Batch No. के बारे में लेबलिंग जानकारी रेपर पर नियमानुसार अंकित नहीं की गयी है। जो कि पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग नियम 2011 के नियम 2.2.2(3)(ii) एवं 2.2.1(5) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड घोषित किया गया है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2443/एक्ट/2015/924 दिनांक 28.09.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ साबूदाना (हीरा–मोती) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 1 व 2 द्वारा खाद्य पदार्थ साबूदाना (हीरा–मोती) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता निवासी महावीर कॉलोनी नई मण्डी रोड दौसा, मैसर्सः– ओम ट्रेडर्स सुन्दरदास मार्ग होल सेल मार्केट दौसा, विक्रेता व अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 श्री महेश चन्द रावत निवासी प्लॉट नं0 125 ए श्यामपुरी झोटवाडा, जयपुर मैसर्सः– रावत इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0 62 शंकर विहार नांगल जेसा बोहरा झोटवाडा जयपुर राज0 फर्म निर्माता पर 7000/– (अक्षरे सात हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 06.02.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/356-59

दिनांकः–08.02.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान सहाय गुप्ता निवासी महावीर कॉलोनी नई मण्डी रोड दौसा, मैसर्सः– ओम ट्रेडर्स सुन्दरदास मार्ग होल सेल मार्केट दौसा, विक्रेता।
4. श्री महेश चन्द रावत निवासी प्लॉट नं0 125 ए श्यामपुरी झोटवाडा, जयपुर राज0 302012 मैसर्सः– रावत इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0 62 शंकर विहार नांगल जेसा बोहरा झोटवाडा जयपुर राज0 फर्म निर्माता।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official